न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 427 सन 2018
अनवान :–

1. बेगराज पुत्र जुगलाल जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फुली पत्नि जुगलाल जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर
2. तोपी 3 गोरा पुत्रीया जुगलाल जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4 माया 5 रचना पुत्रीया जगदीश जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. ओमप्रकाश उर्फ आदसम पुत्र जुगलाल दत्तक पुत्र पूर्णराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना हाल निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री रविन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 14.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 172/136 के खसरा न0 445 की 3.9330हैक भूमि व रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 225/21 के कुल 16.6300हैक सहखातेदार भूमि में 1/4 हिस्सा वादी के पिता जगराम उर्फ जुगलाल के नाम से दर्ज है।

वाद पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वादी के पिता जगराम उर्फ जुगलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के पिता जगराम उर्फ जुगलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 6 ओमप्रकाश को अपने नाना पूर्णराम पुत्र सुखाराम के खोले चला गया है इसलिये जगराम उर्फ जुगलाल पुत्र रूपराम के जायज व कानूनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से जगराम उर्फ जुगलाल के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जगराम उर्फ जुगलाल का देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानूनी वारसिान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है क्योकि प्रतिवादी संख्या 6 ओमप्रकाश अपने नाना पूर्णराम पुत्र सुखाराम के खोले चला गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के पिता जगराम उर्फ जुगलाल जाति मेधवाल निवासी बडबिराना के नाम से दर्ज है वादी के पिता जगराम उर्फ जुगलाल का देहान्त हो गया है जो मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है जगराम उर्फ जुगलाल के जायज व कानूनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं पुत्र जगदीश व ओमप्रकाश है जिसमें से जगदीश का देहान्त हो गया है जो मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है जगदीश के वारिस उसकी पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है एवं औमप्रकाश अपने नाना पूर्णराम पुत्र सुखाराम के खोल चला गया इसप्रकार वादी के पिता जुगलाल के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 हुए जो जगराम उर्फ जुगलाल की प्रश्नगत भूमि के बराबर के हकदार है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जो वादी की माता/बहने/भतीजीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया आकर निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में पूर्व में ही राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की आपसी सहमति से वादी के वाद काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 172/136 के खसरा न0 445 की 3.9330हैक व रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 225/21 के कुल किता 4 की 16.6300हैक मे से 1/4 हिस्सा भूमि जो वादी के पिता के नाम दर्ज है के स्थान पर वादी खातेदार काश्तकार है जगराम उर्फ जुगलाल का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु 5000/– रूप्ये का स्टाम्प ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official